


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1940, 1941 / 2010.....जिला.....झालावाड़.....

उनवान— मैसर्स इब्राहीम अली खां पुत्र श्री अहमद अली खां, झालावाड बनाम सीटीओ, झालावाड़

तारीख हुक्म	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज</p> <p><u>खण्डपीठ</u> <u>श्री सुनील शर्मा – सदस्य</u> <u>श्रीमती आशा कुमारी – सदस्य</u></p> <p>22.04.2015</p> <p>अपीलार्थी अभिभाषक श्री डी. कुमार व विभाग की ओर से उपराजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरना उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी/अभिभाषक द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना—पत्र पेश कर निवेदन किया है कि विचाराधीन प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा घोषित एमेनेस्टी योजना, 2015 का व्यवसायी लाभ लेना चाहते हैं। इस हेतु अपीलार्थी/अभिभाषक प्रकरणों को वापस लेना/(Withdraw) करना चाहते हैं।</p> <p>इस पर विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत अपीलों को विद्वा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।</p> <p>फलस्वरूप अपीलार्थी/अभिभाषक के पत्रावलीयों पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर उपरोक्त हस्तगत अपीलों को विद्वा करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत अपीलें जरिये विद्वा खारीज की जाती हैं।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <p>30/4/15 (आशा कुमारी) सदस्य</p> <p>(सुनील शर्मा) सदस्य</p> 	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	--	--